

an>

Title: Speaker made Valedictory References on the conclusion of the 6th session of 16th Lok Sabha.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का छठा सत्र जो 26 नवम्बर, 2015 को आरम्भ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें हुईं जो 117 घंटे और 20 मिनट चलीं।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनावे के लिए सभा की 26 और 27 नवम्बर, 2015 अर्थात् दो दिन विशेष बैठकें हुईं। इस अवसर पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मानते हुए हमने सभा में भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर काफी सार्थक चर्चाएं कीं। चर्चा 13 घंटे और 53 मिनट चली, जिसमें 147 सदस्यों ने भाग लिया। तत्पश्चात् सभा ने संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए संकल्प पारित किया।

इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का भी निपटारा किया गया। वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदानों की अनुपूर्व मांगों (सामान्य)(दूसरा बैच) और वर्ष 2012-2013 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर संयुक्त चर्चा हुई जो उन मांगों पर मतदान होने तथा संबंधित विनियोग विधेयकों के पारित होने से पूर्व 3 घंटे 54 मिनट तक चली।

इस सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015, माध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 और राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015।

सत्र के दौरान 360 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से करीब 77 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.3 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के साथ 4140 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्नकाल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठकर सदस्यों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 629 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 331 मामले भी उठाए। स्थायी समितियों ने सभा में 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों अर्थात् (एक) देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति, (दो) देश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति, (तीन) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति और (चार) मूल्य वृद्धि के बारे में चार अल्पकालिक चर्चाएं हुईं। इनमें से मूल्य वृद्धि पर चर्चा पूरी नहीं हुई। इन महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चाओं का समापन संबंधित मंत्रियों के उत्तर से हुआ। मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 36 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में तीन वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान 1754 पत्र संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए।

जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, सत्र के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित 117 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। लोक सभा या विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने पर प्रत्येक नागरिक द्वारा अनिवार्य मतदान किए जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री जनार्दन सिंह सींग्रीवाल द्वारा 13 मार्च, 2015 को प्रस्ताव पेश किया गया था जिस पर चौथे और पांचवें सत्र के दौरान 24 अप्रैल, 8 मई तथा 7 अगस्त, 2015 को चर्चा हुई थी। इस सत्र में इस पर 4 दिसम्बर, 2015 को पुनः चर्चा हुई और यह चर्चा 18 दिसम्बर, 2015 को अपूर्ण रही।

जहाँ तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने के संबंध में श्री निशिकांत दुबे द्वारा 20 मार्च, 2015 को किए गये संकल्प पर चौथे और पांचवें सत्र के दौरान क्रमशः 8 मई और 31 जुलाई, 2015 को चर्चा हुई थी और इस पर 11 दिसम्बर, 2015 को आगे भी चर्चा हुई।

"1947 में विभाजन के समय भारत में प्रवर्जित और अब देश के विभिन्न भागों में रह रहे शरणार्थियों को बसाने के लिए कदम" शब्दों को संकल्प में जोड़ने के लिए श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए एक संशोधन पर अंत में मतदान हुआ और वह स्वीकृत भी हुआ। तत्पश्चात् यथासंशोधित संकल्प पर उसी दिन सभा में मतदान कराया गया और वह स्वीकृत हुआ, यह भी एक विशेष बात है। यह पहली लोक सभा से अब तक सभा द्वारा स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों का चौतीसवां संकल्प था।

11 दिसम्बर, 2015 को श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में एक और संकल्प पेश किया गया जिस पर उस दिन आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में व्यवधानों और बाध्य स्थानों के कारण 8 घंटे 37 मिनट से अधिक का समय नष्ट हुआ, सभा नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए 17 घंटे 10 मिनट देर तक बैठी। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तातिका में शामिल अपने साथियों का सभा के सुचारु कार्य संचालन में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबंधित एजेंसियों, प्रेस आदि द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ।

इस अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को फिट्समस और नव वर्ष की बधाई देती हूँ। इस नए वर्ष में हम सब मिलकर यह कामना करें कि नया वर्ष हम सभी के जीवन में नई आशा, नई उमंग, नई ऊर्जा एवं नई सोच लेकर आए और सब मिलकर इस बात पर विचार भी करें। नई सोच भी आए, नई ऊर्जा भी आए, साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि हम यह भी विचार करें कि यदि आप किसी मुद्दे पर असहमति दर्ज करना चाहते हैं तो संसदीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए शक्तिपूर्वक रूप से असहमति दर्ज कराएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि संसद में चर्चा एवं विधायी कार्य ज्यादा से ज्यादा हो, गतिरोध कम से कम हो और एक जिम्मेदार सांसद के नाते हम सभी अपना कर्तव्य पूरा करने में कामयाब रहें। इस पर हम सोचें।

मैं आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ और अब मैं चाहूंगी कि हम सभी "बन्दे मातरम" के लिए खड़े हो जाएं।

**12.31 hours**

**NATIONAL SONG**

*(The National Song was played.)*

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

